दिनांक 21.02.2023
प्रेस विज्ञप्ति 22/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना शाहगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.02.2023 को थाना शाहगंज व खेतासराय की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अरंद नहर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 अब्दुल सलाम उर्फ बिल्लर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ, के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 अब्दुल सलाम उर्फ बिल्लर निवासी रानीमऊ थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना भेलूपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये कीमत के आभूषण**
- **01 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.02.2023 को थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुष्कर तालाब के पास से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये कीमत के आभूषण, 01 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.02.2023 को थाना भेलूपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी बी 01/145 पुष्कर तालाब अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये कीमत के आभूषण।

2–01 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना असन्द्रा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 35 बैट्रा, 20 इन्वर्टर, 07 मॉनीटर, 03 डी0बी0आर0, 05 सीपीयू, 05 यूपीएस, 03 की–बोर्ड, 02 माउस, 01 बैट डे लाइट, 02 रैकेट**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.02.2023 को थाना असन्द्रा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नैपुरा घाट के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–रोहित कुमार 3–नितिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 35 बैट्रा, 20 इन्वर्टर, 07 मॉनीटर, 03 डी0बी0आर0, 05 सीपीयू, 05 यूपीएस, 03 की–बोर्ड, 02 माउस, 01 बैट डे लाइट, 02 रैकेट, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली व अयोध्या व आसपास के जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन्वर्टर, बैट्रा इत्यादि की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना असन्द्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी संसारा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

2–रोहित कुमार निवासी संसारा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

3–नितिन निवासी संसारा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी के 35 बैट्रा, 20 इन्वर्टर, 07 मॉनीटर, 03 डी0बी0आर0, 05 सीपीयू, 05 यूपीएस, 03 की–बोर्ड, 02 माउस, 01 बैट डे लाइट, 02 रैकेट।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेहीघाट

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.02.2023 को थाना रामसनेहीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैशनपुरवा के पास से 05 अभियुक्तों 1–अतुल कुमार 2–आकाश 3–हिमांशू 4–आकाश 5–साहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी व आसपास के जनपदों में भीड़–भाड़ वाले स्थानो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेहीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल कुमार निवासी मुरारपुर, शोभापुर थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

2–आकाश निवासी मउगोरपुर थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

3–हिमांशू निवासी बनीकोडर थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

4–आकाश निवासी लालूपुर, सनौली थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी, हालपता कस्बा सुमेरगंज थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

5–साहिल निवासी कस्बा सुमेरगंज थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **11 नाल**
- **02 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनॉकः 21.02.2023 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुडिया हाफिज से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त खतीबउर रहमान उर्फ खतीब को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 11 नाल, 02 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खतीबउर रहमान उर्फ खतीब निवासी वार्ड नं0–11 धौराटांडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—11 नाल।

3—02 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

- **जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या—45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना रहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0जज पॉक्सो एक्ट जनपद अमरोहा द्वारा थाना रहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————